राजस्थान सरकार हरकेश बनाम 1/5 तहसीलदार करौली

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, करौली
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/~~केम्प कोर्ट~~) कैम्प करौली

मुल. 47/17 6-9-17

:– आदेश :–

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी जयसिंहपुरा व भू.अ.नि. रघुवंशी की रिपोर्ट तथा तहसीलदार करौली/नायब तहसीलदार ..... की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम नयागाव तहसील करौली व जिला करौली की जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 में खाता संख्या 4 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रुप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है:–

क0स0	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	नयागाव	4	करौड़या, रामकन्या पि० मोहन हि० 1/3 जुवान्या पुत्र श्योफल हि० 1/3, केशो पुत्र गुलाबचन्द हि० 1/3 राजा, सारजी पुत्र बंशी, भरत, बलीरा पुत्र कलुआ, रामचन्द्र बेटा कलुआ, गुड्डी पुत्री कलुआ, मटोरी, रघुवीर, चिरंजीलाल पि० मालादी जाति गुर्जर सा० देह	हरकेश, सादलसिंह, पि० करौड़या, रामकन्या, रामकली, केशपति, गुलाबदेवी विधवा 1/8, मुकेश पुत्र रामगोपाल, गुपीता पुत्री रामगोपाल हि० 1/8, जुवान्या पुत्र श्योफल हि० 1/4, भरत, बलीरा पि० कलुआ, रामचन्द्र बलीरा कलुआ, गुड्डी पुत्री कलुआ हि० 1/4 मटोरी, रघुवीर, चिरंजीलाल पि० मालादी हि० 1/4 जाति गुर्जर सा० देह,

( )
पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा.कलक्टर, ...

क्रमांक:– 5591-92
दिनांक:– 6.9.17

प्रतिलिपि:–

1. तहसीलदार करौली को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री ..... को सूचनार्थ
3. रक्षित पत्रावली।

(— 11 —)
पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत